(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1046–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–05–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक–51/1996–97/अपील

.....

रतन बल्लभ पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
निवासी–कोलारस, जिला–शिवपुरी, म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1– ब्रजेश पुत्र घनश्याम
2– घनश्याम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
3– मु0 गजरीबाई पुत्री भमरा, पत्नी बाबूलाल
4– मु0 इमरती बाई पत्नी घनश्याम
निवासीगण– कोलारस, जिला–शिवपुरी, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/03/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारर पारित आदेश दिनांक 18–05–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 ब्रजेश पुत्र घनश्याम के द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम गौरा की भूमि सर्वे क्र0

126 रकबा 3.205 है0 में मृतक भूमिस्वामी बालकिशन का हिस्सा 1/3 भाग पर वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करते हुये, दिनांक 13.07.94 को वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये है। जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के समक्ष अपील पेश की गई है जो प्रकरण क्रमांक 44/93–94/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30.11.96 द्वारा तहसील न्यायालय के नामांतरण आदेश को निरस्त करते हुये, अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस के इसी आदेश परिवेदित होकर अनावेदक क्र0 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 51/96–97/अपील पर दर्ज किया जाकर, दिनांक 18.05.2001 को अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस का आदेश दिनांक 30.11.96 निरस्त किया है एवं अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.94 स्थिर रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने उद्घोषणा को सही तौर पर अवैध ठहराया था। उक्त उद्घोषणा पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे तथा ऐसी उद्घोषधा पर किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना उचित नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है जो विधि के प्रतिकूल है। अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक वसीयतकर्ता बालकिशन 1/3 हिस्सा का भूमिस्वामी है व 1/3 हिस्सा के भूमिस्वामी घनश्याम, रतन बल्लभ पुत्रगण लक्ष्मीनारायण अंकित है व अन्य भागीदारों का हिस्सा भी

विधिवत 1/3 स्पष्ट रूप से अंकित है। मृतक वसीयतकर्ता बालकिशन द्वारा अपने हिस्से की जमीन का ही वसीयत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतक भूमिस्वामी के कोई संतान नहीं है और न पत्नी जीवित है अर्थात् कोई भी वैध वारिस नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत वसीयत साक्षियों के कथन कराये गये है व इश्तहार का भी प्रकाशन कराया गया है। जहां तक अनावेदकगण को नामांतरण के पूर्व पृथक से सूना देकर सुनवाई करने का प्रश्न है, जब यह स्पष्ट है कि सभी का समान भाग यानि की 1/3 बी–1 में अंकित है तो फिर अनावेदकगण मृतक की हिस्से की भूमि के कैसे हितबद्ध पक्षकार साबित होते है, मात्र इस आधार पर कि मृतक उनके परिवार अथवा खानदान का है, हितबद्ध पक्षकार मान्य योग्य नहीं है। हितबद्ध पक्षकार साबित करने के लिये विवादित भूमि पर हित सिद्ध करना आवश्यक होता है। जब सभी के मध्य आपस में बराबर का बटवारा हो चुका है तो बगैर हित सिद्ध किये किसी को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे बिना ही आदेश पारित किया है। अतएव अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस का आदेश दिनांक 30.11.96 निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये, नामांतरण का आदेश दिनांक 13.07.94 पारित किया है, जो कि न्यायसंगत है। इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने प्रकरण क्रमांक 51/96–97/अपील में दिनांक 18.05.2001 को जो आदेश पारित किया है वह विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,